संख्या:-36/2026/909ई-2/तेरह-2026-401517

प्रेषक,

दयाराम

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 13 नवम्बर, 2026

विषय:- मेसर्स टिकौला आसवनी, टिकौला, जनपद मुजफ्फरनगर में कतिपय परिवर्तन/परिवर्धन करने एवं आसवनी की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 75 कि.ली. प्रतिदिन से विस्तारित कर 98 कि.ली. प्रतिदिन निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-59/दो-प्रा.डी.-71/टिकोला आसवनी मु.नगर, दिनांक 27-10-2026 एवं इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 04-11-2026 में लिए गए निर्णय संबंधी कार्यवृत्त संख्या:908ई-2/तेरह-2026-401517, दिनांक 13-11-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 27-10-2026 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत उ.प्र. आबकारी (आसवनी की स्थापना)(पन्द्रहवाँ संशोधन) नियामवली-2020 के क्रम में मेसर्स टिकौला आसवनी, टिकौला, जनपद-मुजफ्फरनगर आसवनी इकाई की अधिष्ठापित क्षमता 75 कि.ली. प्रतिदिन में वृद्धि कर 98 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 343 लाख लीटर वार्षिक क्षमता निर्धारित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना)(तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उ.प्र. आबकारी (आसवनी की स्थापना)(पन्द्रहवाँ संशोधन) नियामवली-2020 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से निर्गत सुसंगत अधिनियमों/नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) एवं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले एथनॉल स्टोरज टैंक पर नियमानुसार राडार बेस्ड लेबल ट्रांसमीटर स्थापित किया जायेगा तथा निकासी प्वाइण्ट पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमण्ट मीटर (पी.डी. मीटर) स्थापित किये जायेंगे।

(6) आसवनी द्वारा अब्सोल्यूट अल्कोहल हेतु संचय हेतु टैंकों का निर्माण पेसो से मानक के अनुरूप किया जायेगा।

(7) इकाई का आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये पोर्टल की सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

(8) प्रदेश में स्थित आसवनियों/यवासवनियों में ग्रेन के भण्डारण, खरीदे गये ग्रेन के अभिलेखों का उचित प्रबंधन, अभिलेखों का पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण आदि के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1069ई-2/तेरह-2024-1404728, दिनांक 09-12-2024 एवं इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन आबकारी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) ग्रेन आधारित आसवनियों में प्रयुक्त मक्का तथा एफसीआई द्वारा आपूर्तित कॉमन/ग्रेड-ए चावल सहित विभिन्न अनाजों/फीडस्टॉक से प्रति कुण्टल उत्पादित ई.एन.ए./एल्कोहल की रिकवरी के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकीकृत मानदण्डों का इकाई द्वारा अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या:4/1/2018(BP&E) (Part), दिनांक 11-11-2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या:4/1/2018(BP&E) (Part), दिनांक 29-03-2023 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-864ई-2/तेरह-2023-107/2013 दिनॉक 10.05.2023 द्वारा प्रदेश में स्थित आसवनियों में अलग-अलग प्लाण्ट एवं संचय व्यवस्था होने पर अलग-अलग फीड से अलग-अलग अल्कोहल (एथनॉल) उत्पादन किये जाने हेतु गाइडलाइन निर्धारित की गयी है, का आसवक द्वारा अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) भविष्य में किसी अतिरिक्त प्लान्ट/मशीनरी स्थापित किये बिना इस प्लान्ट की क्षमता वृद्धि के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(12) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(13) भविष्य में आसवक द्वारा प्रश्नगत प्लान्ट बिना किसी अतिरिक्त प्लाण्ट/मशीनरी स्थापित किये अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(14) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0/-

(दयाराम)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः-36/2026/909(1)ई-2/तेरह-2026-401517 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(दयाराम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।